संख्या:93/2020/2301 ई-2/तेरह-2020-82/2006

प्रेषक,

अनिल कुमार
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 12 नवम्बर, 2020

विषय:मेसर्स डालमिया चीनी मिल्स (आसवनी इकाई) (डालमिया भारत शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. का एक उपक्रम) निगोही यूनिट, जनपद शाहजहांपुर की अधिष्ठापित क्षमता 60 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 198 लाख लीटर से बढ़ाकर 110 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 385 लाख लीटर वार्षिक किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-49/दो-प्रा.डी.-194, दिनांक 22.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में मेसर्स डालमिया चीनी मिल्स (आसवनी इकाई) (डालमिया भारत शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. का एक उपक्रम) निगोही यूनिट, जनपद शाहजहांपुर की अधिष्ठापित क्षमता 60 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 198 लाख लीटर से बढ़ाकर 110 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 385 लाख लीटर वार्षिक किये जाने एवं विस्तारित की जाने वाली क्षमता के अन्तर्गत बाजार की मॉग के अनुसार रेक्टिफाइड स्प्रिट अथवा अब्सोल्यूट अल्कोहल का निर्माण एवं बिक्री किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तारित क्षमता के अनुसार अल्कोहल उत्पादन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स/अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पेसो से आवश्यक अनुज्ञापन प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा तथा आसवनी द्वारा समस्त आवश्यक पर्यावरणीय तथा अन्य सांविधिक शर्तों का पालन किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in